Constitution 29/06/2026

संविधान के नाम पर विभाजी राजनीतिक विचार

(1)

कांग्रेस को लक्ष्य करके भाजपा के 'संविधान हत्या दिवस' मनाने के विवादास्पद आयोजन में इस बार नया विचार जोड़ दिया गया। 25 जून को 'इमर्जेंसी' को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने की दूसरी बरसी पर विभाजी राजनीतिक एजेंडे में शैक्षिक अब की स्कूली बच्चों को शोध्य बना दिया गया। राष्ट्रीय शोध और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी - नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग) की आठवीं कक्षा की समाज विज्ञान की नयी किताब भी 25 जून को ही रिलीज की गयी, जिसमें इमर्जेंसी पर एक नयी बहस जोड़ी गयी है। केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे यह कहकर सही ठहराया है कि भावी पीढ़ी को जानना चाहिए कि इमर्जेंसी के दौरान देश ने क्या झेले, अंधकार में डूबे। 220 पृष्ठों की नयी आठवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न अध्यायों में इमर्जेंसी की चर्चा संविधान के शासन स्थगन की गयी है। इसके उदाहरण मौका इस तौर पर दिया गया है — '25 जून, 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक संकट बताकर राष्ट्रीय इमर्जेंसी (आपातकाल) लागू कर दिया। उस दौरान अधिकांश मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, प्रेस-मीडिया पर सेंसर लगा दिया गया, बड़ी संख्या में राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिकों की आजादी पर कड़ी पाबंदी लगा दी गयी।' भाजपा नीत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठजोड़ सरकार ने 2024 में संविधान गठन की 75वीं वर्षगांठ पर 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया

एन सी ई आर टी की पाठ्यपुस्तक में यह प्रसंग 'संविधान हत्या दिवस' की कुछ ही बरसों पर जोड़ा गया है। इमर्जेंसी लागू होने वाले पैरे की पंक्तियां उस अधिसूचना से मिलती-जुलती हैं, जो जुलाई 2024 में गृह मंत्रालय की ओर से 'भारत का राजपत्र' में जारी की गयी थी। 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाए जाने की गृह मंत्रालय की अधिसूचना 12 जुलाई 2024 को जारी की गयी, जबकि 22 जुलाई 2024 से संसद का बजट सत्र शुरू होनेवाला था। 18वीं लोकसभा के गठन का पहला सत्र 24 जून को जब शुरू हुआ तो कांग्रेस के जीते 99 सदस्यों ने अपने सहयोगी दलों के साथ संविधान का बैनर पोस्टर लगी तख्तियों के साथ सदन में प्रवेश किया और सदस्यता की शपथ ली। जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने [illegible] 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' पर फोकस किया। उन्होंने संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों को संविधान की प्रतियां भी बांटी।

फिर आ गया वर्ष 2024 का संसद का शीतकालीन सत्र। उसमें विपक्षी खास कर कांग्रेस की मांग पर सरकार संविधान की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में दोनों सदनों में चर्चा कराने को सहमत हुई। लोक सभा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद से भाजपा की 'संविधान हत्या' नैरेटिव और उसके बाद में कांग्रेस का जवाबी 'संविधान बचाओ' अभियान 25 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस तक चला। लोक सभा में 13 और 14 दिसंबर को और राज्य सभा में 16 तथा 17 दिसंबर को संविधान पर चर्चा हुई। संसद के अंदर और बाहर भाजपा और कांग्रेस का राजनीतिक संविधान खास रहा।

संविधान में ...
शक्तियों के निर्वहन की शपथ ग्रहण की संरक्षण ग्रहण
समर्पित रहे हैं। संविधान को पवित्र बताकर और आचरण में
का भाव अमल न कर गरीबों तथा उपहास का विषय राजनीतिकरण
संविधान हत्या का भाजपा ने
करके मना लिया गया। जैसा 2024 में चलाया, वैसा
कांग्रेस के खिलाफ जोरदार अभियान 'संविधान हत्या दिवस' में
2025 में इमरजेंसी के 50वें साल में पहला संविधान हत्या दिवस
देखने को नहीं मिला। लेकिन इस बार 25 जून, 2026 को भाजपा का यह
अभियान 2024 की तुलना में ज्यादा कमजोर है। इस
बार भाजपा की कांग्रेस के खिलाफ रणनीति दूरगामी परिणाम वाली योजना का संकेत
होते हैं इसके पीछे के सियासी राजनीतिक कारण पर गौर करें तो।
जो नौवीं कक्षा के बच्चों को संविधान से
अभी हाल में एनसीईआरटी की
पहले संवैधानिक विचार पढ़ाने और संविधान की मूल भावना प्रस्तावना
को बदल कर अपना सियासी एजेंडा थोपने के समय देश का
राजनीतिक माहौल भाजपा के अनुकूल नहीं चल रहा है।
मई से शुरू हुआ नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक विवाद थमा नहीं है।
अभूतपूर्व सुरक्षा बंदोबस्त के
[illegible] भी कदाचार मुक्त नहीं रही। केंद्रीय शिक्षा
लीक हुई पुनर्परीक्षा भी
मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान देश के लाखों पीड़ित प्रभावित अभिभावकों को भी आश्वस्त
नहीं कर पा रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र में, सीईटी (पेशेवर पात्रता परीक्षा) में भी पेपर लीक हुई।
धर्मेन्द्र प्रधान को काफी दबाव में [illegible]
की जांच को सीबीआई को सौंपने के बाद स्वीकारना पड़ा कि नीट-
यूजी परीक्षाएं आयोजित करनेवालों की इसमें साजिश है।

कांग्रेस नेता और लोकसभा में भी विपक्ष के नेता देश भर में इसके खिलाफ 'पापों की गूंज' आंदोलन चला रहे हैं। जून में जब भाजपा का 'संविधान हत्या दिवस' मनाने का समय करीब आया, उस समय अयोध्या रामजन्मभूमि ट्रस्ट में चढ़ावा, अनुदान, अंश चोरी उजागर हो गयी। भाजपा की राजनीति का सबसे बड़ा एजेंडा रहा है अयोध्या का राममंदिर। इसलिए रामजन्मभूमि ट्रस्ट के अंदर जनता से मिले श्रद्धा की चढ़ावा, अनुदान राशि, सोना, चांदी की प्रबंधक रामभक्तों द्वारा की चोरी देश की सबसे बड़ी खबर बनी। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष चुनाव हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए संभावना कठिन हो रहा है, जिनके 10 साल के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है, अयोध्या का राम मंदिर।

कांग्रेस नेताओं ने 'संविधान हत्या दिवस' के दिन इंदिरा गांधी और उनके परिवारजनों पर भाजपा नेताओं द्वारा संविधान के राजनीतिक इस्तेमाल के आरोपों तथा इमर्जेंसी काल के विषय में टिप्पणियों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एक बार में खंडन करके जवाब दे दिया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के 12 साल के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है, संवैधानिक संस्थाओं को सरकारी बनाना।

उत्तर प्रदेश में भाजपा की चुनौती समाजवादी पार्टी समेत इंडिया गठजोड़ के संयोजक कांग्रेस और अन्य घटक दलों का लोकसभा रामजन्मभूमि ट्रस्ट के अंदर चोरी अब नीट-यूजी विवाद के बाद, 'पापों की गूंज' आंदोलन को पर हैं। राहुल गांधी ने 24 जून को ही सफल बनाने के लिए सभी कांग्रेसजनों से एकजुट होने कहा।

भाजपा की दिलचस्पी संविधान हत्या दिवस चर्चा, ओढ़नी जारी है। इसके लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति को श्रद्धांजलि देने के बहाने इमरजेंसी को काला अध्याय बताकर कांग्रेस को संविधान की धज्जियां उड़ानेवाली पार्टी कहा जा रहा है। जे पी आंदोलन की कर्मभूमि बिहार में बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ समारोह में शामिल भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने कहा कि इंदिरा गांधी के पोता-पोती का संविधान की प्रतियां लेकर घूमना 'संविधान का अपमान है'। भाजपा के अलावा पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के नयन है। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल अयोध्या जाकर मत्था टेकने के बहाने कह आए कि रामजन्मभूमि देश के पुरखों को फंसाकर, लूटनेवाले लोगों को बचाया जा रहा है। इस के अंश से चोरी, पवन का आरोप नया-नया खुलासा हो रहा है। यह तो हुआ पूरी तरह सियासी मुद्दों की राजनीति का मामला। अब देखिए कि 'संविधान हत्या दिवस' के बहाने भाजपा नीति निर्धारकों का निशाना कहां-कहां है। एक तरफ कांग्रेस के प्रति इतनी नफरत फैलाती है ताकि अभी जो चुके हैं, उनके साथ-साथ रिपोर्ट-कार्ड की तलवीज पर पैर रखनेवाले भी जानें कि कांग्रेस के शासनकाल में संविधान की धज्जियां उड़ायी गयीं। दूसरी तरफ संघ की इकाइयों की पाठ्यपुस्तक के जरिये सुप्रीम कोर्ट के रुख को बदलने और कार्यपालिका का वर्चस्व दिखनेवाला संतुलन बनाए रखना है। इसमें पहला मुद्दा आता है, नीतियों की किताब से संविधान की प्रस्तावना बदल जाना और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द का लोप।

इसकी जगह [redacted] मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR- एस आई आर) को जगह दी गयी है। पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव [redacted] से पहले एस आई आर को लेकर संवैधानिक-राजनीतिक विवाद किसी और मामले को लेकर नहीं हुआ। 25 जून 2026 को एस आई आर के दूसरे चरण पूरे होने पर 6 करोड़ वोटरों के नाम कटे। इससे मत-सम्बन्ध संविधान वाले [redacted] अध्याय को जोड़ा गया कि पढ़ाई की शुरुआत में ही नयी पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि किस प्रकार चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से एस आई आर अभियान चलाया ताकि कोई भी वास्तविक मतदाता सूची से वंचित न हो।

आठवीं कक्षा के बच्चों को कभी ये पढ़ाया गया है कि न्यायपालिका निष्पक्ष और स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा करते हुए कहा गया है जो कि अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए जनहित मामलों समय-समय पर लेती है, ताकि सबके लिए न्याय सुनिश्चित हो।

गत फरवरी में एन सी ई आर टी की कक्षा 8 की समाज विज्ञान पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की चर्चा की गयी थी। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वह किताब वापस ली गयी और एन सी ई आर टी ने माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा एतराज जताते हुए [redacted] केन्द्र, राज्य और शैक्षिक संस्थानों को निर्देश दिया कि यह प्रसंग जोड़नेवाले सदस्यगण मिशेल डेनिनो, सुपर्णा दिवाकर, आलोक प्रसन्न कुमार से दूर को अलग करें।

[redacted] 2024 के नवंबर में संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ के समय का जिक्र करते हुए

[भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके 1976 में इमरजेंसी के दौरान किए गए 42वें संविधान संशोधन के संशोधन-2 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए दलील दी कि प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द 'समाजवादी' 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' संविधान की मूल भावना के विपरीत हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने संविधान दिवस (26 नवंबर) से एक दिन पहले 25/11/2024 को फैसला सुनाते हुए सबसे पहले कहा कि 'इमरजेंसी में सब कुछ गलत तो नहीं हुआ। 1949 में संविधान को अपनाते समय 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द को वस्तुनिष्ठ रूप से परिभाषित नहीं किया गया था। 1976 में संशोधन करके जोड़े गए शब्दों को नहीं हटाया जा सकता। क्योंकि हमारे संदर्भ में समाजवाद का अर्थ कल्याणकारी राज्य है, जो अन्य देशों से बहुत अलग है। अगर यह दलील स्वीकार की जाती है, तो सभी संशोधनों पर लागू होगी। [26 नवंबर, 2024 को पुराने संसद भवन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 30 नवंबर, 1949 को छपे आर.एस.एस. के मुखपत्र 'ऑर्गेनाइजर' के संपादकीय का हवाला दिया, जिसमें 26 नवंबर, 1949 को स्वीकार किए गए संविधान को भारतीयता और मनुवादी संस्कृति के विपरीत बताया गया।

अभी संविधान हत्या दिवस के आयोजन पर जारी
एन सी ई आर टी की किताब से प्रस्तावना के साथ-
साथ 'धर्मनिरपेक्ष' (सेकुलर) शब्द भी हटा दिया गया है उसकी
जगह संविधान को मनुस्मृति का एक स्थान जोड़ा गया है
जिसमें कहा गया है कि नागरिकों का सम्मान होता था
देवी-देवताओं का वास होता था। यह सारा कार्यक्रम अपनाया है
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 और स्कूल शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, 2023 के तहत चलकर।
2007 में कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठजोड़ सरकार के
समय एन सी ई आर टी ने 12वीं कक्षा की राजनीति शास्त्र
पाठ्यपुस्तक में अम्बेडकर का जिक्र संविधान निर्माण पर पूरे
अध्याय के साथ किया था, जब बच्चे किशोर उम्र में पहुंच
जाते हैं तो किसी तथ्य की समीक्षा के लायक मानसिक
विकास हो जाता है। उसमें प्रस्तावना को संविधान का मूल
आधार बताया, साथ ही 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' (पंथनिरपेक्ष)
और 'लोकतांत्रिक' शब्दों का अर्थ विस्तार से समझाया गया था।
अब 'संविधान हत्या दिवस' वाले संविधान का ज्ञान क्यों
कक्षा के साथ अम्बेडकर द्वारा अध्याय पाठ से हासिल
करेंगे। सोचने की पतली उम्र में बच्चे संविधान की
जानकारी संविधान के नाम पर नए, इसी
सियासी राजनीति से हासिल करेंगे। इससे पहले
... वाले पाठ में एक कथा
सुप्रीम कोर्ट के ... न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से
जोड़ते 8वीं कक्षा के बच्चों को ... का प्रयास किया गया।
संविधान का ज्ञान देने ... एक बुजुर्ग ... सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
... समर्थकों में ऐसी समझ
को सही ठहराते हुए कहते हैं ... नहीं थी

→ और स्पष्ट किया कि भारत को इमरजेंसी को स्वर्णिम अध्याय मानना चाहिए, जिसके चलते पहली बार देश के सत्ता में भागीदारी का अवसर मिला।

Date.

ombt. regnews @ timesgroup.com
rahul.ayodhya @ gmail.com
(2) hemdharshama @ gmail.com
(3) haribhoomi @ gmail.com
(4) editorial @ sanmarg.in
(5) dainikpurvoday @ gmail.com
(6) delhi @ prabhatkhabar.in
(7) news.jaipur @ navjyoti.com
(10) Mobile No. — 6393076351 (whatsapp)